न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री लक्ष्मी नारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 49/2017/ जिला–अजमेर (2017/00084)

मनोज कुमार टांक पुत्र श्री गणेशीलाल जी टांक जाति माली निवासी कृष्णकुंज गार्डन के पास, म.न. 938/29, धोलाभाटा, वार्ड नम्बर 43, अजमेर तहसील व जिला अजमेर।

––– अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर।

––––रेस्पोन्डेन्ट

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 27.7.2017
अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 93/2015
बउनवान मनोज कुमार टांक बनाम राज0 सरकार

————

उपस्थित– 1. श्री अजित सिंह राठौड़ अभिभाषक, अपीलांट
2. श्री बी.एस. शेखावत– राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः– 28.06.2019

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 132 सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर ग्राम किरानी पुरा तहसील अजमेर में स्थित खाता संख्या नये 68, पुराने 59 खसरा नम्बर 2247 रकबा 0–9–10 किस्म चाही 2 व खसरा नम्बर 2248 रकबा 0–7–0 चाही 2 है। जो प्रार्थी की तन्हा खातेदारी की आराजियात है। इसी प्रकार खाता संख्या नये 162 पुराने 144 खसरा नम्बर 2241 रकबा 1–1–0 किस्म चाही 2 है जो प्रार्थी की सहखातेदारी की आराजियात है। लेकिन वर्किंग जमाबंदी में त्रुटिपूर्ण रूप से 1/2 हिस्सा जड़ाव पत्नी दयाल तथा 1/4 हिस्सा निहाल चन्द पुत्र गणेशीलाल के नाम दर्ज हो गया जिसकी दुरूस्ती हेतु पृथक से वाद विचाराधीन है। अपीलांट का नाम रिकार्ड अनुसार मनोज कुमार पुत्र श्री गणेशीलाल टांक है लेकिन निक नेम कैलाश है। अपीलांट के सर्विस रिकार्ड, परिवार कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर आई.

डी., बैंक पास बुक आदि सभी दस्तावेजात में मनोज कुमार टांक पुत्र श्री गणेशीलाल अंकित है। अपीलांट के पिता गणेशीलाल पुत्र रूघनाथ का दिनांक 26–8–1967 को स्वर्गवास होने के समय अपीलांट नाबालिग था जिससे जमाबंदी में अपीलांट का नाम मनोजकुमार टांक के स्थान पर निक नेम कैलाश पुत्र श्री गणेशीलाल दर्ज कर दिया गया जिसकी दुरूस्ती हेतु उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित करते हुए कि प्रस्तुत दस्तावेजात से यह प्रमाणित नहीं होता है कि मनाज कुमार टांक एवं कैलाश एक ही व्यक्ति है। इस संबंध में राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए है एवं भूमि अवाप्ति के बाद अवाप्ति अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने का तथ्य अंकित कर अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–7–2017 द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से यह प्रमाणित हो चुका था कि अपीलांट का रिकार्ड में नाम मनोज कुमार टांक पुत्र श्री गणेशीलाल टांक है लेकिन घर पर निकनेम कैलाश है तथा अपीलांट के पिता श्री गणेशी लाल पुत्र रूघनाथ का दिनांक 26–8–1967 को स्वर्गवास होने पर अपीलांट नाबालिग होने से घर पर बोले जावे वाला निकनेम कैलाश राजस्व रेकार्ड में अंकित कर दिया गया जिसकी दुरूस्ती की जाकर अपीलांट का रेकार्डेड नाम मनोज कुमार टांक पुत्र श्री गणेशीलाल टांक राजस्व अभिलेख व जमाबंदी में दुरूस्त कर दर्ज किया जाना चाहिए था जिसे नजर अन्दाज कर अधिनस्थ न्यायलय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

उनका यह भी तर्क है कि अधिनस्थ न्यायालय के समर्क्ष वार्ड संख्या 36 के पार्षद गोपाल सिंह चौहान द्वारा सजरा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसके अनुसार अपीलांट मनोज उर्फ कैलाश पुत्र श्री गणेशीलाल है अर्थात मनोज एवं कैलाश एक ही व्यक्ति के नाम है। इसके अलावा पारिवारिक सदस्य यतीश कुमार पुत्र बींजूलाल तथा महेश चन्द सांखला पुत्र श्री गंगा प्रसाद सांखला द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र तथा अपीलार्थी के आधार कार्ड एवं पहचान पत्र प्रस्तुत किये जिनमें कैलाश एवं मनोज कुमार एक ही वयक्ति श्री गणेशीलाल पुत्र रघुनाथ का पुत्र होना सिद्ध किया गया लेकिन राजकीय सेवा में होने के कारण सर्विस रेकार्ड में मनोज कुमार पुत्र श्री गणेशी लाल अंकित है। अपीलांट के नाबालिग होने के कारण पिता के स्वर्गवास के पश्चात राजस्व रेकार्ड में हलका पटवारी द्वारा विरासत में निकनेम कैलाश अंकित कर दिया गया जो प्रस्तुत रेकार्ड से पूर्णतया

सिद्ध होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व अभिलेख जमाबंदी सम्वत 2041 प्रस्तुत की जिसे नजर अन्दाज कर दिया। अधिकार अभिलेख में दर्ज त्रुटि को दुरूस्त करने हेतु धारा 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में विशिष्ट प्रावधान है जिससे उक्त दुरूस्ती बाबत अवाप्ति अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। इस कानूनी बिन्दु को नजर अन्दाज कर अवाप्ति अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने बाबत अंकन कर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि अधिकार अभिलेख/जमाबंदी में दुरूस्ती हेतु माननीय न्यायालय में जरिये अधिसूचना एफ.12 (183) रेव/ब/56 दिनांक 17.9. 1956 के तहत धारा 131, 132 एवं 136 के प्रकरण सुनवाई का विशिष्ठ क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अवाप्ति अधिनियम के तहत चाराजोही करने बाबत अंकन करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जबकि यह अधिनस्थ न्यायालय के सुनवाई का क्षेत्राधिकार स्वयं में निहित नहीं होना मानते थे तो फिर क्षेत्राधिकार के अभाव में उन्हें प्रार्थना पत्र निर्णित करने का अधिकार भी नहीं था अतः उन्हें प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुती हेतु लौटा देना चाहिए था। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–7–2017 निरस्त कर अन्तर्गत धारा 132 सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में कैलाश पुत्र श्री गणेशीलाल के स्थान पर मनोज कुमार टांक पुत्र श्री गणेशीलाल दुरूस्ती कर दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

अपीलांट अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट तहसीलदार अजमेर की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष राजस्व रेकार्ड में कैलाश पुत्र गणेशीलाल व मनोज कुमार पुत्र श्री गणेशीलाल टांक एक ही व्यक्ति है सिद्ध करने में असफल रहा है। धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही का क्षैत्र बहुत सीमित है जिसमें लिपीकीय त्रुटि जो देखने मात्र से स्पष्ट होती हो जिसे दोनों पक्ष की सहमति से ही दुरूस्त किया जा सकता है। अपीलांट का राजस्व रेकार्ड में नाम दुरूस्ती बाबत सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.7.2017 विधिसम्मत है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने अपीलांट के विद्वान अभिभाषक एवं तहसीलदर, अजमेर की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपील मीमो के सारणी अ के अनुसार ग्राम किरानीपुरा तहसील अजमेर की जमाबंदी सम्वत 2041 के अनुसार खाता संख्या नये 68, पुराने 59 खसरा नम्बर 2247 रकबा 0–9–10 किस्म चाही 2 व खसरा नम्बर 2248 रकबा 0–7–0 चाही 2 है जो प्रार्थी की तन्हा खातेदारी की आराजियात है इसी प्रकार सारणी ब के अनुसार खाता संख्या नये 162 पुराने 144 खसरा नम्बर 2241 रकबा 1–1–0 किस्म चाही 2 जो सहखातेदारी की भूमि है लेकिन वर्किंग जमाबंदी में त्रुटिपूर्ण रूप से 1/2 हिस्सा जड़ाव पत्नी दयाल तथा 1/4 हिस्सा निहाल चन्द पुत्र गणेशीलाल के नाम दर्ज है। जमाबंदी को देखने से यह स्पष्ट प्रतीत नहीं होता है कि मनोज कुमार टांक ही कैलाश चन्द है या गणेशीलाल टांक मनोज कुमार टांक का ही पिता है। पत्रावली में अपीलांट के दो आधार कार्ड संलग्न है जिसमें एक में मनोज कुमार टांक पुत्र गणेशीलाल टांक अंकित है तथा दूसरे नये कार्ड में मनोज कुमार टांक उर्फ कैलाश पुत्र गणेशीलाल टांक अंकित किया हुआ है। अपीलांट द्वारा सर्विस रेकार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, पेन कार्ड आदि में मनोज कुमार टांक ही अंकित है। अपीलांट स्वयं ही कैलाश है जिसे सिद्ध करने में अपीलांट असफल रहा है। धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही का क्षैत्र बहुत सीमित है जिसमें लिपीकीय त्रुटि जो देखने मात्र से स्पष्ट होती हो और जिसे दोनों पक्ष की सहमति से ही दुरूस्त किया जा सकता है। अपीलांट द्वारा राजस्व रेकार्ड में नाम दुरूस्ती बाबत सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आलोक में अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनाक 27–7–2017 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 93/2015 बउनवान मनोज कुमार टांक बनाम राज0 सरकार विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(लक्ष्मी नारायण मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर